

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अम्बेडकर भवन जी. 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक एफ 7(2)(1230-P-2)/रा.छा./सा.न्या.एवं.अ.वि./26/ दिनांक :- यथा ई-हस्ताक्षरित

आदेश

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित **अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजनान्तर्गत** शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए आवेदन आमंत्रित करने हेतु ऑनलाईन आवेदन पोर्टल दिनांक 15.10.2026 से खोला जाकर अन्तिम तिथि दिनांक 30.11.2026 निर्धारित की जाती है। योजनान्तर्गत इच्छुक छात्र द्वारा ई-मित्र/एस.एस.ओ. आई.डी. के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। एस.एस.ओ. आई.डी. के माध्यम से पोर्टल पर जनाधार कार्ड के माध्यम से sso.rajasthan.gov.in एवं <http://SJMS.rajasthan.gov.in> पर आवेदन किया जावेगा। आवेदन हेतु पात्रता/शर्तें सामान्य दिशा-निर्देशों का विस्तृत विवरण विभाग की वेबसाइट <http://sje.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध है।

(ललित कुमार)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक एफ 7(2)(1230-P-2)/रा.छा./सा.न्या.एवं.अ.वि./26/ दिनांक :- यथा ई-हस्ताक्षरित

प्रतिलिपि:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, मदरसा बोर्ड भवन, शिक्षा संकुल परिसर, जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, जयपुर।
6. जिला कलक्टर, (समस्त)।
7. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (छात्रावास) मुख्यावास।
8. निजी सचिव, वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, ...।
10. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/जिला परीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी/सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग समस्त को भेजकर लेख है कि जिला मुख्यालय पर संचालित राजकीय महाविद्यालयों में एवं स्थानीय स्तर पर उक्त योजना का प्रचार प्रसार करेंगे।
11. उप निदेशक (प्रचार) मुख्यावास।
12. संयुक्त निदेशक (आई.टी.), मुख्यावास को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्तानुसार विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने की कार्यवाही करें।
13. उप निदेशक (छात्रावास) मुख्यावास।
14. आदेश पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref No.:
24930956



Digitally signed by
LALIT KUMAR
Designation: Director
Date: 2026-10-14
13:59:58 IST

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अम्बेडकर भवन जी. 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक एफ 7(2)(1230-P-2)/रा.छा./सा.न्या.एवं.अ.वि./26/ दिनांक :- यथा ई-हस्ताक्षरित

निदेशक

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

विषय:- विभाग द्वारा संचालित अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना शैक्षणिक सत्र 2026-27 में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने हेतु 2 राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशन करवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभाग द्वारा संचालित अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजनान्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2026-27 में दिनांक 15.10.2026 से ऑनलाईन पोर्टल खोला जाना है इस हेतु संलग्न विज्ञप्ति को राजस्थान के दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों (राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक भास्कर) में न्यूनतम स्पेस में शीघ्र प्रकाशित कराने का श्रम करावें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

(ललित कुमार)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक एफ 7(2)(1230-P-2)/रा.छा./सा.न्या.एवं.अ.वि./26/ दिनांक :- यथा ई-हस्ताक्षरित
प्रतिलिपि:-

1. विज्ञापन प्रशाखा, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. उप निदेशक (प्रचार), मुख्यावास को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्तानुसार विज्ञप्ति का शीघ्र प्रकाशन करावें।
3. संयुक्त निदेशक (आई.टी.), मुख्यावास को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्तानुसार विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने की कार्यवाही करें।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref No.:
24929722



Digitally signed by
LALIT KUMAR
Designation: Director
Date: 2026-10-14
14:01:24 IST

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अम्बेडकर भवन जी. 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक एफ 7(2)(1230-P-2)/रा.छा./सा.न्या.एवं.अ.वि./26/ दिनांक :- यथा ई-हस्ताक्षरित

—प्रेस विज्ञप्ति—

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजनान्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित करने हेतु ऑनलाईन आवेदन पोर्टल दिनांक 15.10.2026 से खोला जाकर अन्तिम तिथि दिनांक 30.11.2026 निर्धारित की जाती है। योजनान्तर्गत इच्छुक छात्र (बालक) द्वारा ई-मित्र/एस.एस.ओ. आई.डी. के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। एस.एस.ओ. आई.डी. के माध्यम से आवेदन करने हेतु sso.rajasthan.gov.in पर लॉगिन कर SJMS SMS आईकन पर क्लिक करने के पश्चात् डेसबोर्ड ऑपन होगा, जहाँ पर डीबीटी वाउचर आईकन पर क्लिक कर जनाधार के माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा। आवेदन हेतु पात्रता/शर्तें सामान्य दिशा-निर्देशों का विस्तृत विवरण विभाग की वेबसाइट <http://sje.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध है।

(ललित कुमार)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव



अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना के संचालन की प्रक्रिया

माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बजट भाषण 2021-22 के बिन्दु संख्या 108 में की गई बजट घोषणा के अनुसरण में विभाग द्वारा SC, ST, OBC, MBC, EWS वर्गों के कॉलेज छात्रों के लिए आवासीय सुविधा हेतु अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना के तहत पांच हजार छात्र लाभान्वित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में योजना के संचालन की प्रक्रिया निम्नानुसार है:-

1. योजना का लाभ:- योजनान्तर्गत SC, ST, OBC, MBC, EWS के छात्र जो राजकीय महाविद्यालय की स्नातक अथवा स्नातकोत्तर कक्षाओं में नियमित रूप से अध्ययनरत छात्रों को देय होगा।
2. श्रेणीवार छात्रों का विभाजन:- योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के 1500, अनुसूचित जनजाति के 1500, अन्य पिछड़ा वर्ग के 750, अति पिछड़ा वर्ग के 750, आर्थिक पिछड़ा वर्ग के 500 विद्यार्थियों को लाभ दिया जावेगा।
3. पात्रता/शर्त:-
 - अभ्यर्थी राजस्थान का मूल निवासी हो।
 - अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का सदस्य हो।
 - अभ्यर्थी के माता-पिता, अभिभावक की वार्षिक आय (अभ्यर्थी की आय को सम्मिलित करते हुए यदि हो तो) SC, ST, MBC के छात्र की वार्षिक आय 2.50 लाख रु., OBC के लिए 1.50 लाख रु. व EWS के लिए 1.00 लाख रु. से अधिक नहीं हो।
 - जिला स्तर पर स्थित राजकीय महाविद्यालय में शैक्षणिक पाठ्यक्रम (एकेडमिक कोर्स) में अध्ययनरत हो।
 - अभ्यर्थी जिस जिले के राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत है उस नगर निगम/ नगर परिषद/ नगर पालिका का निवासी न हो।
 - योजना के तहत विद्यार्थी जिनके माता-पिता/अभिभावक - के पास स्वयं का मकान उस शहर या स्थान पर होने पर जहां वह अध्ययनरत है, वह योजना के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होगा।
 - छात्र को योजना का लाभ अधिकतम पाँच वर्षों के लिए देय होगा।
 - जो छात्र सरकार द्वारा संचालित छात्रावास में निवासरत रहकर अध्ययन कर रहे हैं, उन्हें उक्त योजना का लाभ देय नहीं होगा।

4. अभ्यर्थी के द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया:-

- विभाग द्वारा विज्ञप्ति जारी किये जाने पर इच्छुक अभ्यर्थी द्वारा ई-मित्र/ एस. एस.ओ. आई.डी. के माध्यम से उक्त पोर्टल पर जनाधार कार्ड के माध्यम से आवेदन किया जावेगा।

5. अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किये जाने वाले दस्तावेज:-

- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण-पत्र।
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र।
- स्व-घोषित आय प्रमाण-पत्र की प्रति।
- अभ्यर्थी के जनाधार कार्ड, आधार कार्ड की प्रति।
- अभ्यर्थी को अपने स्वयं के बैंक का नाम, खाता संख्या, बैंक आईएफएससी कोड, ब्रांच का नाम ऑन लाईन आवेदन पत्र में करना होगा।
- जिला स्थित राजकीय महाविद्यालय में नियमित अध्ययनरत् होने का प्रमाण-पत्र।
- स्व-प्रमाणित किराये के मकान का प्रमाण-पत्र/ किराये के रसीद की प्रति।
- गत वर्ष उत्तीर्ण कक्षा की अंकतालिका की प्रति।

6. योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करने का कार्यालय:- विद्यार्थी वर्तमान में जिस राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत है, उस महाविद्यालय के द्वारा ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों की गहन जांच कर आवेदन पत्र उपयुक्त पाये जाने पर अनुशंसा के साथ स्वीकृतकर्ता अधिकारी (विभागीय जिलाधिकारी) को भिजवाया जावेगा। स्वीकृतकर्ता अधिकारियों द्वारा शिक्षण संस्थाओं से प्राप्त परिपूर्ण आवेदन पत्रों की ऑनलाईन स्वीकृति कर निर्धारित राशि का भुगतान विद्यार्थी के खाते में डीबीटी की जावेगी।

7. स्वीकृतकर्ता अधिकारी:- योजनान्वित लाभान्वित किये जाने हेतु जिलेवार व वर्गवार लक्ष्यों के अनुरूप स्वीकृति संबंधित उप निदेशक/ सहायक निदेशक (जिलाधिकारी) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी की जावेगी।

8. देय राशि:- अभ्यर्थी को शैक्षणिक सत्र में 2000 रुपये प्रतिमाह अधिकतम 10 माह के लिए देय होगी।

9. भुगतान प्रक्रिया:- अभ्यर्थी को मासिक/ प्रतिमाह भुगतान किया जायेगा।

10. प्रक्रिया का विनिर्णय:- इस प्रक्रिया की व्याख्या आयुक्त/निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा की जावेगी, वही अन्तिम एवं बाध्यकारी मानी जावेगी। किसी भी विवाद में संबंधित विभाग क आयुक्त/निदेशक का निर्णय अन्तिम होगा।

30/6/2021
(ओ.पी. बुनकर)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक-एफ 7 (2)(70)/रा.छा/सान्या.अवि./2020-21/7329-7413 जयपुर दिनांक 01/07/2021
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रिय विकास विभाग, राजस्थान उदयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रिय विकास विभाग, राजस्थान उदयपुर।
7. आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
8. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
9. शासन उप सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
10. जिला कलक्टर.....।
11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद.....।
12. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. संयुक्त निदेशक (आई.टी.), मुख्यावास को भेजकर लेख है कि उक्त योजना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करवाये जाने के सम्बन्ध में सम्बंधित को निर्देशित करावें।
14. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन)/वित्तीय सलाहकार/अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृत्ति एवं छात्रावास)/सहायक निदेशक (प्रचार-प्रसार) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
15. उप निदेशक/सहायक निदेशक, सान्याअवि समस्त।
16. सहायक निदेशक (छात्रावास) मुख्यावास।
17. आदेश पत्रावली।


01/07/2021

(अनुपम कायल)

अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृत्ति एवं छात्रावास)

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजनान्तर्गत आवेदन हेतु पात्रता/शर्तें सामान्य दिशा-निर्देश

1. **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** द्वारा जिला मुख्यालयों पर संचालित राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर (केवल शैक्षणिक पाठ्यक्रमों कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय हेतु) अध्ययनरत् छात्र (बालक) जों घर से दूर रहकर अन्य स्थान पर कमरा किराये पर लेकर (पेईंग गैस्ट कें रूप में) अध्ययन करते हैं उन छात्रों हेतु आवास, भोजन एवं बिजली-पानी इत्यादि सुविधाओं हेतु पुनर्भरण राशि के रूप में अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना के अन्तर्गत छात्र द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश दिनांक से माह मार्च तक 2000/- प्रतिमाह प्रतिवर्ष (अधिकतम 10 माह हेतु) दी जावेगी।

2. **उक्तानुसार योजना का संचालन** चालू शैक्षणिक सत्र में अध्ययनरत छात्रों हेतु प्रारम्भ की जानी है।

3. **योजना का लाभ :-** योजनान्तर्गत SC, ST, OBC, MBC, EWS and Minority के छात्र जो जिला मुख्यालय पर संचालित राजकीय महाविद्यालय की स्नातक अथवा स्नातकोत्तर कक्षाओं में नियमित रूप से अध्ययनरत छात्रों को देय होगा।

4. **श्रेणीवार छात्रों का विभाजन :-** योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के 1500 अनुसूचित जनजाति के 1500 अन्य पिछड़ा वर्ग के 750 अति पिछड़ा वर्ग के 750 आर्थिक पिछड़ा वर्ग के 500 एवं अल्पसंख्यक वर्ग के 500 कुल 5500 विद्यार्थियों को लाभ दिया जावेगा।

5. **पात्रता/शर्तें:-**

- अभ्यर्थी राजस्थान का मूल निवासी हो।
- अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग का सदस्य हो।
- जिला स्तर पर स्थित राजकीय महाविद्यालय में शैक्षणिक पाठ्यक्रम (एकेडमिक कोर्स) में अध्ययनरत हो।
- अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना में लाभान्वित होने वाले विद्यार्थियों के माता – पिता/अभिभावक की वार्षिक आय का निर्धारण विभाग द्वारा संचालित उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अनुरूप SC, ST, SBC & Minority के लिए 2.50 लाख रु., OBC के लिए 1.50 लाख रु. व EWS के लिए 1.00 लाख रु. अधिकतम निर्धारित की गई है। चूंकि वर्तमान में उक्त योजना 5500 छात्रों के लिए लागू की जानी है। अतः प्राथमिकता के आधार पर सभी वर्गों के अधिक पिछड़े विद्यार्थियों को लाभ देने के लिए यह आय सीमा निर्धारित की गई है।
- अभ्यर्थी जिस जिले के राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत है उस नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका का निवासी न हो।
- योजना के तहत विद्यार्थी जिनके माता-पिता/अभिभावक – के पास स्वयं का मकान उस शहर या स्थान पर होने पर जहां वह अध्ययनरत है, वह योजना के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होगा।
- छात्र को योजना का लाभ अधिकतम पाँच वर्षों के लिए देय होगा।
- जो छात्र सरकार द्वारा संचालित छात्रावास में निवासरत रहकर अध्ययन कर रहे हैं, उन्हें उक्त योजना का लाभ देय नहीं होगा।

6. अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किये जाने वाले दस्तावेज:-

- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण-पत्र।
- जिला मुख्यालय स्थित राजकीय महाविद्यालय में नियमित अध्ययनरत् होने का प्रमाण-पत्र।
- स्व-प्रमाणित किराये के मकान का प्रमाण-पत्र/ किराये के रसीद की प्रति।
- गत वर्ष उत्तीर्ण कक्षा की अंकतालिका की प्रति।
- उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी का आधार संख्या, अभ्यर्थी की जाति, परिवार की आय, अभ्यर्थी स्वयं का बैंक खाता संख्या, आदि अभ्यर्थी के जनाधार वैब सर्विस के माध्यम से ऑनलाईन लिया जा रहा है।
- अति पिछडा वर्ग श्रेणी के छात्रों को श्रेणी का लाभ लेने हेतु पृथक से जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक होगा।

7. **आवेदन प्रक्रिया :-** योजनान्तर्गत इच्छुक छात्र द्वारा ई-मित्र/एस.एस.ओ. आई.डी. के माध्यम से उक्त पोर्टल पर जनाधार कार्ड के माध्यम से sso.rajasthan.gov.in एवं <http://SJMS.rajasthan.gov.in> पर आमंत्रित आवेदन किया जावेगा। आवेदन हेतु पात्रता/शर्तों हेतु जारी दिशा-निर्देश का विस्तृत विवरण विभाग की वेबसाईट <http://sje.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध है।

छात्र जिस राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत है, उस महाविद्यालय के द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र की गहन जांच कर आवेदन पत्र स्वीकृतकर्ता अधिकारी (छात्र के गृह से सम्बन्धित विभागीय जिलाधिकारी) को ऑनलाईन भिजवाया जावेगा। स्वीकृतकर्ता अधिकारियों द्वारा शिक्षण संस्थाओं से प्राप्त परिपूर्ण आवेदन पत्रों की जाँच उपरान्त प्रतिमाह ऑनलाईन स्वीकृति जारी कर निर्धारित राशि का भुगतान छात्र के खाते में डीबीटी की जावेगी।

8. **स्वीकृतकर्ता अधिकारी :-** योजनान्तर्गत लाभान्वित किये जाने हेतु जिलेवार, वर्गवार एवं संकायवार लक्ष्यों के अनुरूप नियमानुसार स्वीकृति संबंधित संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/जिला परीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी (जिलाधिकारी) सामाजिक न्याय एवंअधिकारिता विभाग द्वारा जारी की जावेगी।

9. **भुगतान प्रक्रिया :-** अभ्यर्थी को मासिक/प्रतिमाह भुगतान किया जायेगा।

10. **योजनान्तर्गत दिनांक 30.11.2026 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जावेंगे।**

11. समस्त जिलाधिकारी/सामाजिक सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे जिला मुख्यालय पर संचालित राजकीय महाविद्यालयों में उक्त योजना का प्रचार प्रसार कराये जाने की व्यवस्था करेंगे, महाविद्यालयों में सम्पर्क कर छात्रों के आवेदनों को छात्र के गृह जिले के जिलाधिकारी को अग्रेषित कराये जाने हेतु संपर्क करेंगे। योजनान्तर्गत नियमानुसार पात्र आवेदन पत्रों को शीघ्र स्वीकृत कर छात्रों को समय पर लाभान्वित करना सुनिश्चित करेंगे।